रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-13052025-263036 CG-DL-E-13052025-263036

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2073]

No. 2073]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 9, 2025/वैशाख 19, 1947 NEW DELHI, FRIDAY, MAY 9, 2025/VAISAKHA 19, 1947

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 मई, 2025

का. आ. 2118(अ).— केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित है कि ईंधन गैस कोयला गैस, प्राकृतिक गैस और समान गैस के प्रसंस्करण या उत्पादन या वितरण में लगे हुए उद्योगों की ऐसी सेवाएं, जो औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की पहली अनुसूची की मद 29 के अधीन आती हैं, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोक उपयोगिता सेवाएं हैं:

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए भारत सरकार, श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2251(अ), तारीख 12 जून, 2024 द्वारा तारीख 12 जून, 2024 से छह मास की अवधि के लिए उक्त उद्योग को लोक उपयोगिता सेवा घोषित किया है;

और, उक्त घोषणा को किसी भी समय विस्तारित नहीं किया जा सकता था;

और, केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोकहित में उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोक उपयोगिता सेवा का छह मास की और अवधि के लिए विस्तार किया जाना अपेक्षित है;

3109 GI/2025 (1)

अब, अतः, केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खंड (ढ) के उप खंड (vi) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित ऐसा करना अपेक्षित है, ईंधन गैस (कोयला गैस, प्राकृतिक गैस और समान गैस) के प्रसंस्करण या उत्पादन या वितरण में लगे हुए सेवाओं को राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह महीने की अविध के लिए उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोक उपयोगिता सेवा घोषित करती है।

[फा. सं. एस-11017/08/2024-आई.आर.(पी.एल.)] अजय शर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th May, 2025.

S.O. 2118(E).—WHEREAS the Central Government is satisfied that public interest so requires that the services of the industry engaged in the processing or production or distribution of fuel gases (coal gas, natural gas and the like), which is covered under item 29 of the First Schedule to the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), to be a public utility service for the purposes of the said Act;

AND WHEREAS, the Central Government has declared the said industry to be public utility service for the purposes of the said Act for a period of six months with effect from the 12th June, 2024 vide notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment, number S.O. 2251(E), dated the 12th June, 2024;

AND WHEREAS, the said declaration could not be extended at any time;

AND WHEREAS, the Central Government is of the opinion that public interest requires that the said industry is declared as public utility service for the purposes of the said Act for a period of six months;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government being satisfied that public interest so requires, hereby declares the services engaged in the processing or production or distribution of fuel gases (coal gas, natural gas and the like) to be a public utility service for the purposes of the said Act for a period of six months from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

[F.No. S.11017/08/2024 -IR (PL)]

AJOY SHARMA, Jt. Secy.